न्यायालयः- अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 02 वैर जिला भरतपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी	:	श्रीमती शैली परवाल, आर.जे.एस
दीवानी प्रकरण संख्या	:	28/2025
सी.आई.एस संख्या	:	27/2025

1. नत्थी पुत्र धर्म निवासी ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर (राज.),
2. चौथी पुत्र करनसिंह निवासी ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर (राज.) .... मृतक

2/1. भगवानी पत्नी चौथी निवासी ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर (राज.)
2/2. कृपा पुत्री चौथी पत्नी मोहनसिंह निवासी सोनोटी, उच्चैन, जिला भरतपुर (राज.),
2/3. श्यामसिंह पुत्र चौथी निवासी ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर (राज.)
2/4. विमला पत्नी पीतम पुत्री चौथी निवासी कंडेल कोठी उच्चैन, जिला भरतपुर (राज.),
2/5. दरबसिंह पुत्र चौथी निवासी ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर (राज.),
2/6. भरतराम पुत्र चौथी निवासी ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर (राज.),
2/7. वकीलसिंह पुत्र चौथी निवासी सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर (राज.),
2/8. मधुवनसिंह पुत्र विजयसिंह निवासी सोनोटी, उच्चैन, जिला भरतपुर (राज.),
2/9. हुकमसिंह पुत्र विजयसिंह निवासी सोनोटी, उच्चैन, जिला भरतपुर (राज.),
2/10. रीता पुत्री विजयसिंह निवासी सोनोटी, उच्चैन, जिला भरतपुर (राज.),
2/11. रेखा पुत्री विजयसिंह निवासी सोनोटी, उच्चैन, जिला भरतपुर (राज.)

.... वादीगण

बनाम

1. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग वैर जिला भरतपुर (राज.)
2. जिला कलेक्टर भरतपुर जिला भरतपुर (राज.) **.....असल प्रतिवादीगण**
3. फत्ती पुत्र धर्म,
4. बन्नी पुत्र बदन,
5. मालती पत्नी फूलसिंह,
6. यादराम पुत्र फूलसिंह नाबालिग संरक्षक मालती,
7. रूपसिंह पुत्र धर्मसिंह,
8. श्योदान सिंह पुत्र धर्म,
9. स्वरूप पुत्र धर्म,
10. देवेन्द्र पुत्र बदन संरक्षक माता केदार कौर,
11. देवीसिंह पुत्र फूलसिंह नाबालिग संरक्षक माता मालती

निवासीयान सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर (राज.)

..... तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः-

1. श्री मानवेन्द्र दत्तात्रेय, श्री राजकुमार नगायच, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादीगण।
2. श्री हेमेन्द्रसिंह धाकड, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री बृजकिशोर धाकड, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 की ओर से।
4. प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

-:: <u>निर्णय</u> ::- **दिनांकः- 01.04.2026**

<u>वाद पत्रः</u>-

01- आराजी खसरा नंबर 646 रकवा 0.2100 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर में स्थित है जिसमें वादी संख्या एक एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खातेदार-काश्तकार काबिज आराजी हैं एवं खसरा नंबर 647 रकवा 0.2200 हैक्टेयर में वादी संख्या दो सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार-काश्तकार काबिज आराजी है। खसरा नंबर 645/668 रकवा 0.1300 गैर मु० वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर में मकबूजा इंजीनियरी की खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज है जो कि खसरा नंबर 645 की भूमि को अवास्त करते हुये खातेदार को मुआवजा राशि देकर मकबूजा इंजीनियरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है जिसमें होकर वैर वाया झील सड़क का निर्माण प्रतिवादी संख्या एक द्वारा किया गया था। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा सडक निर्माण करने हेतु सर्वे किया गया था जिस पर चिन्हित कार्य करते हुए भूमि अवास्ि की। भूमि अवास्ि करने पर खातेदारान को मुआवजा राशि देकर सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है लेकिन प्रतिवादी संख्या एक द्वारा उक्त सड़क को चिन्हित स्थान व मुआवजा राशि देने वाले खातेदारान की भूमि में से न निकालकर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 की भूमि में जबरन निकालना चाहते हैं, जबकि वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 की भूमि अवास्ि नहीं की और न ही मुआवजा राशि दी है। प्रतिवादी संख्या एक से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 द्वारा दिनांक 12.07.2023 को कहासुनी की तथा दिनांक 12.07.2023 को खुले आम धमकी दी। दावा अर्जेन्ट नेचर एवं त्वरित प्रवृति का है जिस कारण प्रतिवादी को नोटिस दिया जाना संभव नहीं है इसलिये

धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। वादपत्र पूर्ण न्याय शुल्क पर, अंदर मियाद व क्षेत्राधिकार में पेश किया गया है। अतः वांछित अनुतोष प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया।

<u>जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2</u>-

02- कार्यालय श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी विभाग खण्ड बयाना के कार्यालय आदेश संख्या 2022-23/13 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा गैर. मुरारीलाल सिंघल श्रेणी के पक्ष में जारी किया गया है, जिसकी कार्यालय प्रारंभ एवं समिति तिथि क्रमशः 14.07.2022 एवं दिनांक 23.07.2000 नियत है। उक्त कार्य मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत राज्य सडक निधि योजना अन्तर्गत चौडाईकरण हेतु स्वीकृत है, जिसमें पूर्व में निर्मित सडक पर सडक निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान में विवाद स्थान पर सडक निर्माण कार्य नहीं किया गया है। विवाद की स्थिति समाप्त होने के उपरांत ही अग्रिम सडक निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है जिसको वादीगण जनहित में नहीं करवाना चाहते हैं तथा रूकाबट व बाधा पैदा कर रहे हैं। दावा करने से पूर्व नोटिस देना आवश्यक था जो वादीगण द्वारा नहीं दिया गया। अतः वाद पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

<u>जवाबदावा तरतीवी प्रतिवादी सं</u>. 3 <u>लगायत</u> 5, 7 <u>लगायत</u> 9-

03- तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 व प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 09 द्वारा जवाब दावा पेश किया जाकर वाद पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया गया है।

<u>विवाद्यकः</u>-

04- न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 09.12.2025 को निम्नवत विवाद्यक विरचित किए गएः-

1. आया आराजी खसरा नंबर 646 रकबा 0.2100 हैक्टेयर व आराजी खसरा नंबर 647 रकबा 0.2200 हैक्टेयर (विवादित आराजीयात) पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज है?

   ..... वादीगण

2. आया प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के विवादित आराजीयात के उपयोग-उपभोग में बाधा कारित की जा रही है, जिस कारण से वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी

है?

.....वादीगण

3. आया वादीगण द्वारा दावा दायरी पूर्व प्रतिवादीगण को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित नहीं किया गया, जिस कारण से दावा खारिज किए जाने योग्य है?

.....प्रतिवादीगण

4. आया वाद पत्र, वादकारण के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है?

.....प्रतिवादीगण

5. अनुतोष?

<u>साक्ष्य वादीः</u>-

05- वादीगण की ओर से अपने वाद कथानक के संबंध में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यू-1 भरतराम, पी.डब्ल्यू-2 नत्थीसिंह व पी.डब्ल्यू-3 श्यामसिंह को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-1 नक्शा, प्रदर्श-2 लगायत प्रदर्श-4 जमाबंदी व प्रदर्श-5 नक्शा ट्रेस को प्रदर्शित करवाया है।

<u>साक्ष्य प्रतिवादीः</u>-

06- प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप डी०डब्ल्यू-1 दीपक कुमार को परीक्षित करवाया है।

<u>बहसः</u>-

07- बहस अंतिम सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों की ओर से अधिवक्तागण द्वारा जो तर्क बहस के दौरान पेश किए गए हैं, उनका उल्लेख आवश्यकतानुसार न्यायालय द्वारा अपनी विवेचना के दौरान किया जावेगा।

08- विवाद्यक संख्या 1 व 2 परस्पर संबंधित होने के कारण निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

विवाद्यक संख्या 01 व 02

आया आराजी खसरा नंबर 646 रकबा 0.2100 हैक्टेयर व आराजी खसरा नंबर 647 रकबा 0.2200 हैक्टेयर (विवादित आराजीयात) पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज है?

आया प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के विवादित आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा कारित की जा रही है, जिस कारण से वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है?

09- उक्त विवाद्यकों को साबित करने का भार वादीगण पर है। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण द्वारा न्यायालय का ध्यान प्रदर्श-1 लगायत प्रदर्श-5 की ओर आकृष्ट कर कथन किया गया कि आराजी खसरा नंबर 646 रकवा 0.2100 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर में स्थित है जिसमें वादी संख्या 1 तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं एवं खसरा नंबर 647 रकवा 0.2200 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस में वादी संख्या 2 संपूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। खसरा नंबर 645/668 रकवा 0.1300 गैर मुमकिन वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर में मकबूजा इंजीनियरी की खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज है जो कि खसरा नंबर 645 की भूमि को अवास करते हुए उक्त खातेदार को मुआवजा राशि देकर मकबूजा इंजीनियरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है जिसमें होकर वैर वाया झील सडक का निर्माण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया था। उक्त निर्माण की आड में सडक चौडा करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की भूमि से जबरन सडक निकालना चाहते हैं जिस बाबत दिनांक 12.07.2023 को धमकी दी गयी। वादीगण द्वारा पेश गवाहों ने उक्त तथ्यों की पूर्णतया पुष्टि की गयी है। अतः उक्त विवाद्यक वादीगण के पक्ष में निर्णीत किए जाने का निवेदन किया गया।

10- इसके जवाब में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस तर्क पेश किया गया कि कार्यालय श्रीमान अधिशाषी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी विभाग खण्ड बयाना के कार्यालय आदेश संख्या 2022-23/13 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा गैर. मुरारीलाल सिंघल श्रेणी के पक्ष में जारी किया गया है जिसकी कार्यालय प्रारंभ एवं समिति तिथि क्रमशः 14.07.2022 एवं दिनांक 23.07.2000 नियत है। उक्त कार्य मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत राज्य सडक निधि योजना अंतर्गत चौडाईकरण हेतु स्वीकृत है जिसमें पूर्व में निर्मित सडक पर सडक निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान में विवाद स्थान पर सडक निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश गवाहों ने उक्त तथ्यों की पूर्णतया पुष्टि की गई है। अतः उक्त विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किए जाने का निवेदन किया गया।

11- अधिवक्ता तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 द्वारा दौराने बहस वादी के तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार किए जाने के संबंध में अनापत्ति जाहिर की गयी।

12- पत्रावली पर अवस्थित प्रदर्श-2 का अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि आराजी खसरा नंबर 646 रकवा 0.2100 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के अनुसार वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार-काश्तकार काबिज आराजी हैं। पत्रावली पर अवस्थित प्रदर्श-3 खसरा नंबर 647 रकवा 0.2200 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के अनुसार वादी संख्या 2 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। पत्रावली पर अवस्थित प्रदर्श-4 आराजी खसरा नंबर 645/668 रकवा 0.1300 गैर मुमकिन वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर की जमाबंदी संवत 2075-2078 के अनुसार मकबूजा महकमा राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज है। उक्त तीनों खसरा नंबरान का नक्शा ट्रेस प्रदर्श-5 पत्रावली पर अवस्थित है जिससे यह जाहिर होता है कि उक्त खसरा नंबर 645/668 के पश्चिमी व दक्षिणी ओर खसरा नंबर 646 व 647 स्थित है। ऐसे में यह स्थिति स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 646 रकवा 0.2100 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा नंबर 647 रकबा 0.2200 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। वादीगण द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क पेश किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 645/668 रकवा 0.1300 गैर मुमकिन में सड़क निर्माण किए जाने की आड में वादीगण की खातेदारी की भूमि में अतिक्रमण किए जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसके जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा कथन किया गया कि विवाद की स्थिति समाप्त होने के पश्चात अग्रिम सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। स्वयं प्रतिवादीगण के गवाह डी०ड०-1 दीपक कुमार द्वारा दौराने जिरह सुझाए जाने पर इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 646, 647 में होकर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। किंतु पत्रावली पर अवस्थित प्रदर्श-2 व प्रदर्श-3 जमाबंदी एवं वादीगण के गवाह पी०ड०-1 भरतराम, पी०ड०-2 नत्थी सिंह व पी०ड०-3 श्यामसिंह के बयान से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी खसरा नंबर 646 रकवा 0.2100 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा नंबर 647 रकबा 0.2200 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर पर बतौर खातेदार काश्तकार वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज आराजी है। पी०ड०-2 नत्थीसिंह द्वारा दौराने जिरह सुझाए जाने पर कथन किया गया कि *"सडक को इस कारण रूकवाया कि वह हमारे*

खेतों में होकर डाल रहे थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक निकालना ही धमकी है क्योंकि हमारे खेत में सडक निकाल रहे थे।" पी०ड०-3 श्यामसिंह द्वारा दौराने जिरह सुझाए जाने पर कथन किया गया कि *"यह सही है कि हमारे घर के सामने चौडाईकरण का कार्य रूकवा दिया क्योंकि इंजीनियर के रिकॉर्ड में खसरा नंबर 647 में रोड नहीं है।"* वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा सड़क निर्माण कार्य हेतु अवाप्त किया गया हो, ऐसा भी सुझाव प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 646 रकवा 0.2100 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा नंबर 647 रकबा 0.2200 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित की जा रही है, जिस कारण से वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

13- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किए जाते हैं।

14- अब विवाद्यक संख्या 3 का निस्तारण किया जा रहा है।

विवाद्यक संख्या 03

आया वादीगण द्वारा दावा दायरी पूर्व प्रतिवादीगण को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित नहीं किया गया, जिस कारण से दावा खारिज किए जाने योग्य है?

15- उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा तर्क पेश किया गया कि प्रतिवादीगण सरकारी संस्था है एवं वादीगण द्वारा हस्तगत दावा दायर किए जाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित नहीं किया गया है, जिस कारण से दावा खारिज किए जाने योग्य है। अतः उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किए जाने का निवेदन किया गया।

16- इसके जवाब में अधिवक्ता वादीगण द्वारा तर्क पेश किया गया कि दावा अत्यावश्यक प्रकृति का है जिस कारण से प्रतिवादीगण को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित नहीं किया गया। किंतु न्यायालय की अनुमति से हस्तगत दावा पेश किया गया है। अतः उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किए जाने का निवेदन किया गया।

17- धारा 80 सीपीसी के प्रावधानानुसार सरकार अथवा लोक अधिकारी के विरुद्ध दावा संस्थित किए जाने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। किंतु धारा 80(2) के प्रावधानानुसार "सरकार के (जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है) विरूद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसीयत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरूद्ध, कोई अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए कोई वाद, न्यायालय की इजाजत से, उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित किसी सूचना की तामील किए बिना, संस्थित किया जा सकेगा, किंतु न्यायालय वाद में अनुतोष, चाहे अंतरिम या अन्यथा, यथास्थिति, सरकार या लोक अधिकारी को वाद में आवेदित अनुतोष की बाबत हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात ही प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं:

परंतु यदि न्यायालय का पक्षकारों को सुनने के पश्चात, यह समाधान हो जाता है कि वाद में कोई अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है तो वह वाद पत्र को वापस कर देगा कि उसे उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाए।" उक्त प्रावधान के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण का अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा अपने दावे की मद संख्या 4 व 5 में अंकन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 12.07.2023 को वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 की मिल्कियत मकबूजा की विवादित आराजी खसरा नंबर 646 रकवा 0.2100 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा नंबर 647 रकबा 0.2200 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर में जबरन अतिक्रमण किए जाने बाबत धमकी दी गई जिस कारण से वाद पत्र अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण असल प्रतिवादीगण को दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित नहीं किया गया, जिस संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2023 को वादीगण को दावा पेश किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

18- अतः उक्त विवाद्यक संख्या 3 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

19- अब विवाद्यक संख्या 4 का निस्तारण किया जा रहा है।

विवाद्यक संख्या 04

आया वाद पत्र, वादकारण के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है?

20- उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा तर्क पेश किया गया कि कार्यालय श्रीमान अधिशाषी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी विभाग खण्ड बयाना के कार्यालय आदेश संख्या 2022-23/13 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा गैर. मुरारीलाल सिंघल श्रेणी के पक्ष में जारी किया गया है जिसकी कार्यालय प्रारंभ एवं समिति तिथि क्रमशः 14.07.2022 एवं दिनांक 23.07.2000 नियत है। उक्त कार्य मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत राज्य सडक निधि योजना अंतर्गत चौडाईकरण हेतु स्वीकृत है जिसमें पूर्व में निर्मित सडक पर सडक निर्माण कार्य प्रस्तावित है, वर्तमान में विवाद स्थान पर सडक निर्माण कार्य नहीं किया गया है। वादीगण को दिनांक 12.07.2023 को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है जिस कारण से दावा खारिज किए जाने योग्य है।

21- इसके जवाब में अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस तर्क पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 646 रकवा 0.2100 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर में स्थित है जिसमें वादी संख्या 1 व 2, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं एवं खसरा नंबर 647 रकवा 0.2200 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस में वादी संख्या 2 संपूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। खसरा नंबर 645/668 रकवा 0.1300 गैर मुमकिन वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर में मकबूजा इंजीनियरी की खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज है जो कि खसरा नंबर 645 की भूमि को अवास करते हुए उक्त खातेदार को मुआवजा राशि देकर मकबूजा इंजीनियरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है जिसमें होकर वैर वाया झील सडक का निर्माण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया था। उक्त निर्माण की आड में सडक चौडा करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की भूमि से जबरन सडक निकालना चाहते हैं जिस बाबत दिनांक 12.07.2023 को धमकी दी गयी, जिस कारण से वाद कारण उत्पन्न हुआ व अंदर अवधि हस्तगत दावा पेश किया गया है। अतः उक्त विवाद्यक वादीगण के पक्ष में निर्णीत किए जाने का निवेदन किया गया।

22- वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र की मद संख्या 4 व 5 में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 12.07.2023 को वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 की मिल्कियत मकबूजा की विवादित आराजी खसरा नंबर 646 रकवा 0.2100 हैक्टेयर एवं आराजी खसरा नंबर 647 रकबा 0.2200 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर में जबरन

अतिक्रमण किए जाने बाबत धमकी दी गई, जिस कारण से वादकारण उत्पन्न हुआ व दिनांक 19.07.2023 को विधिक समयावधि में हस्तगत दावा पेश किया गया है।

23- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 4 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>अनुतोषः-</u>

24- विवाद्यक संख्या 01, 02, 03 व 04 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किए गए है। ऐसे में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में स्वीकार किए जाने योग्य है।

-:: <u>आदेश</u> ::-

25- अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 646 रकबा 0.2100 हैक्टेयर व आराजी खसरा नंबर 647 रकबा 0.2200 हैक्टेयर वाके ग्राम सुहांस तहसील वैर जिला भरतपुर में होकर सडक निर्माण नहीं करे व वादीगण के उक्त आराजीयात के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न करें।

- खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे।
- डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(श्रीमती शैली परवाल)
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
संख्या-02 वैर, जिला-भरतपुर (राज.)

26- निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती शैली परवाल)
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
संख्या-02 वैर, जिला-भरतपुर (राज.)